27

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 4302–दो/2012 विरूध्द आदेश दिनांक 24–08–12 पारित अपर कलेक्टर जिला रीवा प्रकरण कमांक 427/अ–6अ/2010–11 निगरानी.

बैजनाथ साहू तनय स्व. अंगनू साहू
निवासी मनगवां डीहा, तह. व थाना मनगंवा,
जिला रीवा,म0प्र0

—— आवेदक

विरूध्द

रामनाथ साहू तनय स्व. अंगनू साहू
निवासी मनगवां डीहा, तह. व थाना मनगंवा,
जिला रीवा,म0प्र0

–– अनावेदक

श्री रावेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक – आवेदक
श्री संतोष सोनी, अभिभाषक– अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 2.4. 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 427/अ–6अ/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 24–08–2012 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण. के तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, मनगंवा के आदेश दिनांक 15–7–2011 के विरूध्द आवेदक बैजनाथ व्दारा निगरानी अपर

कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की । अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 24–08–12 में यह निष्कर्ष निकाला है कि तहसीलदार का आदेश दिनाक 15–7–11 अंतिम आदेश है, इस कारण इस आदेश के विरूध्द संहिता की धारा 44(1) के अन्तर्गत अपील श्रवण करने की अधिकारिता अनुविभागीय अधिकारी को है, इसलिये संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है। इस आदेश के विरूध्द आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैंने उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार व्दारा धारा 115, 116 के आवेदनपत्र का बिना जबाव लिये और बिना साक्ष्य लिये आवेदनपत्र खारिज किया गया है। आवेदक व्दारा प्रस्तुत दस्तावेजों का भी तहसीलदार व्दारा कोई अवलोकन नहीं किया गया। तहसीलदार का आदेश न्यायिक प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः उन्होंने निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया।

4/ अनावेदक के अभिभाषक का यह तर्क है कि तहसीलदार व्दारा आवेदक का आवेदन संहिता की धारा 115/116 की परिधि में नहीं आने से खारिज किया गया है और तहसीलदार का आदेश अंतिम प्रकृति का है, इस कारण तहसीलदार के आदेश के विरूध्द निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने से खारिज करने में अपर कलेक्टर व्दारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ तहसील न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि तहसीलदार व्दारा दिनाक 30–6–11 को उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क सुनने के बाद प्रकरण दिनांक 5–7–11 को आदेश हेतु नियत किया और तत्पश्चात दिनांक 15–7–11 को आदेश पारित कर प्रकरण

दोनों धाराओं 115/116 में नहीं आने से खारिज किया गया है। तहसीलदार का उक्त आदेश अंतिम प्रकृति का है और संहिता की धारा 46 (घ) के अन्तर्गत 'अन्तरिम आदेश' के विरूध्द ही अपील नहीं होने का प्रावधान है। ऐसी दशा में तहसीलदार का आदेश दिनांक 15–7–11 अपील योग्य होने से संहिता की धारा 50(4) (क) के अनुसार निगरानी का आवेदनपत्र ग्राह्य नहीं किया जा सकता। ऐसी दशा में अपर कलेक्टर व्दारा आवेदक प्रस्तुत प्रस्तुत निगरानी प्रचलन योग्य नहीं होने से खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की है। आवेदक व्दारा प्रकरण के गुण–दोष पर तर्क प्रस्तुत किये गये हैं जिन्हें सक्षम अपीलीय न्यायालय में उठाया जा सकता है, इसलिये इन पर निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी खारिज की जाती है और अपर कलेक्टर का आदेश दिनाक 24–08–12 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0